

WEST CENTRAL RAILWAY

**Headquarter's Office
Personnel Branch
Jabalpur M.P.**

No. WCR/P-HQ/Gaz./CMP

Date: 22-11-2016



Sub: Engagement of Contract Medical Practitioners over WCR

Ref:- This office letter of even No . dated 18.11.2016

A Notification dated 18.11.2016 was issued vide above notification,
Following discrepancies were noticed :-

<u>Replacement account Vacancies</u>	<u>Total 06</u>
--------------------------------------	-----------------

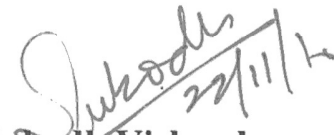
UR-03, SC-01, ST- NIL, OBC-01

It should be read as

<u>Replacement account Vacancies</u>	<u>Total 06</u>
--------------------------------------	-----------------

UR.03, SC-01,ST-01, OBC -01

Rest of the matter will be remain unchanged.


(Subodh Vishwakarma)
**Dy. Chief Personnel Officer /Gaz
West Central Railway**



No. पमरे/का-मुख्या/राज/सी.एम.पी

दिनांक 22-11-2016



पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति



विषय:-	पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा आधार पर विशेषज्ञ एवं सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का आयोजन ।
संदर्भ :-	इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया समसंख्यक पत्र दिनांक: 18-11-2016

पश्चिम मध्य रेलवे में संविदा आधार पर पूर्णकालिक विशेषज्ञ एवं सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों (Specialist & General Duty Medical Practitioner on Full time basis) की रिक्तियों को भरने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दि. 18-11-2016 में निम्नलिखित कमियां और उनका संशोधन (सुधार) निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है:-

पृष्ठ क. 2 में इस प्रकार वर्णित है :-

- I. वास्तविक रिक्तियां : कुल - 05 (अनारक्षित - 02, अनुसूचित जाति - 01, अनुसूचित जनजाति - निल, अन्य पिछड़ा वर्ग - 01)

इसे इस प्रकार पढ़ा जाये :-

- I. वास्तविक रिक्तियां : कुल - 05 (अनारक्षित - 03, अनुसूचित जाति - 01, अनुसूचित जनजाति - निल, अन्य पिछड़ा वर्ग - 01)

इसी प्रकार पृष्ठ क. 2 में ही निम्नानुसार वर्णित है :-

- II. प्रतिस्थापना के आधार पर रिक्तियां : कुल - 06 (अनारक्षित - 03 , अनुसूचित जाति - 01, अनुसूचित जनजाति - निल, अन्य पिछड़ा वर्ग - 01)

इसे इस प्रकार पढ़ा जाये :-

- II. प्रतिस्थापना के आधार पर रिक्तियां : कुल - 06 (अनारक्षित - 03 , अनुसूचित जाति - 01, अनुसूचित जनजाति - 01, अन्य पिछड़ा वर्ग - 01)

उपरोक्त संशोधन के अलावा अधिसूचना में वर्णित शेष सभी तथ्य यथावत रहेंगे ।

(सुबोध विश्वकर्मा)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज
पमरे/जबलपुर